सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 126 राँची ,शुक्रवार

30 फाल्गुन 1935(श०)

21 मार्च, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 फरवरी, 2014

विषयः-राज्य सेवाओं एवं संवर्गों में प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन ।

संख्या-15/नीति नि0-07-02/2014 का.-1385--कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25 सितम्बर, 2008 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) के प्रावधान के आलोक में राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के वैसे पद जिनपर प्रोन्नति के लिए आयोग की अनुशंसा की आवश्यकता है, पर प्रोन्नति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर पर विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया गया था।

2. कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-789, दिनांक-27 जनवरी, 2014 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) (ii),(iii) एवं (iv) को विलोपित कर दिया गया है।

3. झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) (ii),(iii) एवं (iv) के विलोपन के फलस्वरूप संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25 सितम्बर, 2008 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

4. कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या-6147 दिनांक-7 नवम्बर, 2003 द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत तथा उसकी कार्य प्रणाली निरूपित की गयी है। उक्त के आलोक में संकल्प संख्या-6148 दिनांक-7 नवम्बर, 2003, 6149 दिनांक-7 नवम्बर, 2003 तथा 6150 दिनांक-7 नवम्बर, 2003, जिसके द्वारा निम्नांकित सेवाओं/संवर्गों/विभागों के अधीन वैसे पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गयी है, जिस पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं हैः-

i. अखिल भारतीय सेवाओं के राज्यस्तरीय फीडर सेवा यथा राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य आरक्षी सेवा एवं राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों हेतु

ii. कार्य विभाग एवं सेवा विभागों हेतु

iii. विनियंत्री एवं विकास विभागों के समूह हेतु

5. झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) (ii),(iii) एवं (iv) के प्रावधान को विलोपित किये जाने एवं संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25 नवम्बर, 2008 के निष्प्रभावी होने के कारण, कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत संकल्प-6147 दिनांक-7 नवम्बर, 2003 जिसके द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत निरूपित किये गये हैं, के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-5161, दिनांक-25 सितम्बर, 2008, जिसके द्वारा राज्य सेवाओं/संवर्गों/विभागों के निम्नलिखित पदों पर प्रोन्नति के लिए झारखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर पर विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया गया है, को विलोपित किया जाता हैः-

(i) विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

(ii) सचिवालय एवं संलग्न/सम्मिलित कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सदस्यों से अवर सचिव एव अन्य समतुल्य पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति के मामलों में,

(iii) सचिवालय के निजी सहायक संवर्ग के सचिव के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामलों में,

(ख) उपकंडिका-(क) के मामले में प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-6149 दिनांक-7 नवम्बर, 2003 (विकास आयुक्त की अध्यक्षता में) एवं संकल्प संख्या-6150 दिनांक-7 नवम्बर, 2003 (सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में) द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गज़ट (असाधारण) 126–50 ।